यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत के माह 05/2012 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.08.2017 से 26.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, पूर्णागिरी, चम्पावत

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	269.33	263.26	3.54	3.33	-	-
2013-14	-	-	399.44	393.95	18.09	16.00	-	-
2014-15	-	-	406.07	372.51	8.67	7.95	-	-
2015-16	-	-	423.50	396.47	18.9	17.75	-	-
2016-17	-	-	330.59	278.26	10.9	9.63	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	268.88	89.4	6.27	1.07	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 06/2014, 02/2016 एवं 11/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 ₹ 11600 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए एवं शासनादेश संख्याः 84/XXVII(7)50(06)/2017, दिनांक 07 जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 से ₹ 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		अवधि में बकाया वसूली की राशि	कटौती की गयी
		कब से	कब तक		
श्री रमेश चन्द्र गौतम	तहसीलदार	10/16	04/17	07*400=₹2800	निरंक
श्री रमेश चन्द्र गौतम	तहसीलदार	05/17	06/17	02*2000=₹4000	निरंक
श्री अनिल कुमार चन्याल*	उपजिलाधिकारी	05/17	07/17	03*1600=₹4800	3*400=1200
योग				₹ 11600	**₹ 1200**

सम्प्रेक्षा द्वारा ससम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि प्रकाश में लाई गई कटौती संबंधित अधिकारियों से करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 आयुध लाईसेंस फीस के न्युनोरापण से राजस्व क्षति ₹ 30330/-

भारत का राजपत्र के भाग-II-खण्ड-3-उपखण्ड (i) दिनांक 15.07.2016 के तालिका (ख) के क्रम संख्या-5 के अनुज्ञप्ति प्रारूप II, III एवं iv के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2016 से अग्नि आयुध (शस्त्रों) के नवीनीकरण हेतु रू 500/- प्रतिशस्त्र की फीस निर्धारित की गयी है।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत में अस्त्र शस्त्र लाईसेंस पंजिका एवं नवीनीकरण लाईसेंस पंजिका की जांच में पाया गया कि दिनांक 15.07.2016 से 23.08.2017 के मध्य 12 अग्नि आयुधों की लाईसेंस नवीनीकरण फीस ₹ 500/- शस्त्र के बजाय पूर्व निर्धारित दर (₹ 60/- एवं ₹ 150/-) से वसूल किया गया। विवरण निम्न हैः

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	शस्त्र का प्रकार	संख्या	अवधि	निर्धारित शुल्क	वसूल किया गया शुल्क	15.07.16 के उपरान्त निर्धारित शुल्क	कम लिया गया शुल्क
1.	एक नाल कारतूसी बंदूक	40	03 वर्ष	60	2400	500	17600
2.	दो नाल कारतूसी बंदूक	17	03 वर्ष	60	1020	500	7480
3.	रिवाल्वर	08	03 वर्ष	150	1200	500	2800
4.	पिस्टल	05	03 वर्ष	150	750	500	1750
5.	राईफल	02	03 वर्ष	150	300	500	700
	योग	72			5670		30330

कम की गयी वसूली के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को ₹ 30330/- की राजस्व क्षति हुयी है। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि शस्त्रों के नवीनीकरण पर कम लिये गये शुल्क की सम्बंधित से वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-03 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशी ₹ 09.73 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक (मार्च 2017) आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 09.73 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2012-13 तक	-
2013-14 तक	1961118
2014-15 तक	604911
2015-16 तक	588164
2016-17 तक	972776

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि बकायेदारों से वसूली एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः अवशेष वसूली पूर्ण किये जाने पर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री शिव चरण व्दिवेदी	उपजिलाधिकारी	04.09.2010	02.07.2012
2.	श्री जे.एस.राठौर	उपजिलाधिकारी	03.07.2012	01.04.2015
3.	श्री नरेश दुर्गापाल	उपजिलाधिकारी	06.04.2015	22.09.2016
4.	श्री अनिल कुमार चन्याल	उपजिलाधिकारी	07.10.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, पूर्णागिरी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र